

ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା

- 19th Lecture by -

Mamta Rani

[History Depart.]

SNSRKS COLLEGE,

SAHARSA

21-04-2020

# वैदिक शब्दावली

संज्ञा

Page No.

1

Date

- 19<sup>th</sup> lecture.

- गतिवृत्ति - गायों की गतेषणा,  
रयि - वैदिक युग में संपत्तिके लिए प्रयुक्त  
अदेवयु - देवताओं में प्रह्वान रखने के लिए  
प्रयुक्त।  
अब्रह्मन् - वैदिकों को न मानने वाले  
अयज्वन् - यज्ञ न करने वाले  
अनास - कटवाणी वाले, इसका प्रयोग आर्यों  
के शत्रु पणियों के लिए भी किया गया।  
प्राजपति - चारगाह का अधिकारी  
कुलपु - परिवार का मुखिया  
ग्रामणी - लडाकु इलाके में धान।  
जन् या विश - वैदिक कबीले (प्रजाजन)  
नपु - गतोजे, प्रपांग, चचेरे भाई-बहन इत्यादि।  
सहिता - वैदिक सूक्तों या मंत्रों का संग्रह।  
वलि - राजा को स्वेच्छा से दी गयी भेंट।  
राष्ट्र - प्रदेश या राज्यसंग (वैदिक युग में  
पहली बार प्रयुक्त)  
होतृ या होत्रा - ऋग्वेद में उल्लिखित श्लोक उच्चारित  
करने वाले ऋषि।  
अध्वर्यु - यज्ञ संतुष्टी मंत्रों का उच्चारण  
करने वाले पुरोहित युजुर्वेद में उल्लिखित  
उद्गाता - यज्ञ संतुष्टी मंत्रों का गाने वाले  
पुरोहित समावेद में उल्लिखित।  
गोधन - अग्नि  
अगस्य - ग्राहणी शक्ति  
शाला - निवास स्थान।  
दुराण - स्वाधी निवास  
विशज - भूमि  
माष - मूंग  
कृषन्त - अनाई  
गोप्ता - रक्षक

कीलाराश	-	किसान
गुंछी	-	प्रधान व्यापारी
कुलीची	-	सूद लेने वाली
वलु	-	धान

— :: षोडश संस्कार :: —

- (1) गर्भाधान - गर्भ में बीजारोपण
- (2) पुंसवन - पुत्र प्राप्ति हेतु तीसरे महीने में
- (3) सीमान्तानयन - गर्भ के सार्व, चतुर्थ महीने में
- (4) जात्रकर्म - जन्म के समय अनिष्कार प्रभावों से बचाने हेतु
- (5) नामकरण - जन्म के समय 10 से 12 वे दिन नामकरण हेतु।
- (6) निष्क्रमण - जन्म के चतुर्थ महीने तक, बच्चे को घर से बाहर निकालने हेतु।
- (7) अन्नप्राशन - जन्म के छठे महीने, प्रथम बार अन्न ग्रहण हेतु।
- (8) चूड़ाकर्म - जन्म के प्रथम व तृतीय वर्ष, बच्चे के मुँह में हेतु।
- (9) कर्णविधन - बालक के कान छेदने हेतु, जन्म के सातवें वर्ष।
- (10) विद्यार्ंभ - बालक को अक्षरों का ज्ञान शुरू कराने हेतु।
- (11) उपनयन - आचार्य के पास शिक्षा हेतु जाने पूर्व किया जाने वाला।
- (12) वेदाभ्य - गुरु के सानिध्य में जाने पर शिक्षा प्रारंभ हेतु।
- (13) केशान्त (गोबान) - सोलहवें वर्ष, गुरु शिक्षा ग्रहण करने के बाद
- (14) समावर्तन - शिक्षा उपरान्त गृह वापसी पर
- (15) विवाह - गृहस्व जीवन में प्रवेश हेतु।
- (16) अंत्येष्टि - मृत मनुष्य की आत्मा की शान्ति हेतु।



## विवाह के प्रकार :-

- (1) ब्राह्म - योग्य वर को सुसज्जित कन्या का दान
- (2) द्वै - ब्रह्मियों की उपस्थिति में विद्वान को वधु का दान।
- (3) आर्ष - दो गायों के बदले कन्या का दान।
- (4) प्रजापत्य - वर-वधु को धर्मानुसार विवाह
- (5) गंधर्व - काम के वशीभूत भक्त-युवती द्वारा गुप्त विवाह।
- (6) आसुर - कन्या के पिता को धन देकर विवाह
- (7) राक्षस - कन्या का बलपूर्वक हरण
- (8) पशुचर - कोई हुई कन्या को उठा ले जाना।